मध्यप्रदेश विधान सभा

मार्च, 1990 सत्र

दैनिक कार्य-सूची

बुधवार, दिनांक 28 मार्च, 1990 (चैत्र 7, 1912)

समय 10.30 बजे दिन

1. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री सुधाकर बापट, राज्यमंत्री, सामान्य प्रशासन, जांच आयोग अधिनियम, 1952 (क्रमांक 60 सन् 1952) की धारा 3 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार बल्लापुर (गुना) जांच आयोग, गुना, मध्यप्रदेश का प्रतिवेदन दिनांक 28 अप्रैल, 1989 द्वारा श्री एस. एस. त्रिवेदी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गुना, शासन के संकल्प सहित पटल पर रखेंगे.

(2) श्री सुधाकर बापट, राज्यमंत्री, सामान्य प्रशासन, जांच आयोग अधिनियम, 1952 (क्रमांक 60 सन् 1952) की धारा 3 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार पंडातराई (बिलासपुर) जांच आयोग, बिलासपुर, मध्यप्रदेश का प्रतिवेदन दिनांक 28 अप्रैल, 1989 द्वारा न्यायमूर्ति श्री एम. एल. मलिक (सेवा निवृत्त न्यायाधीश), मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर (मध्यप्रदेश) शासन के संकल्प सहित पटल पर रखेंगे.

(3) श्री रामहित गुप्त, वित्त मंत्री, राज्य वित्त निगम अधिनियम, 1951 (क्रमांक 63 सन् 1951) की धारा 37 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश वित्त निगम का दिनांक 31 मार्च, 1988 को समाप्त हुए वर्ष का वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन पटल पर रखेंगे.

2. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री मुंशीलाल, सदस्य, मुरैना कृषि उपज मण्डी में कृषकों का माल कम दाम पर क्रय किये जाने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री जगदम्बा प्रसाद निगम, सदस्य, छतरपुर जिले में हत्या एवं लूट की घटनायें होने की ओर गृहमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) सर्वश्री मोतीलाल वोरा/गजराज सिंह, सदस्य, ओबेदुल्लागंज के बरखेड़ा रेंज में शेर का अवैध शिकार होने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) श्री ललित जैन, सदस्य, इन्दौर के बम्बई—आगरा राजमार्ग पर वाहन दुर्घटनाओं से मृत्यु होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

3. वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक (लेखानुदान) का उपस्थापन

श्री रामहित गुप्त, वित्त मंत्री, वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक (लेखानुदान) का उपस्थापन करेंगे.

4. जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर बोर्ड के लिये विधान सभा के तीन सदस्यों का निर्वाचन

श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा, कृषि मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :—

"यह सभा उस रीति से जैसी अध्यक्ष महोदय निर्दिष्ट करें जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1963 (क्रमांक 12 सन् 1963) की धारा 25 की उपधारा (1) के पद (नौ) की अपेक्षानुसार जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर बोर्ड के लिये विधान सभा के सदस्यों में से तीन सदस्यों के निर्वाचन के लिये अग्रसर हों."